



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2026/D-113

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 280042 दिनांक 30/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Rakesh Kumar Mehta S/o Gulbir Sen एवं Rajesh Kumar Mehta एवं BRIJESH KUMAR MEHTA S/o Gulbir Sen Mehta एवं Dinesh Mehta S/o Gulbir Sen Mehta एवं Simmi Mehta W/o Vishal Mohan(POA SIMMI MEHTA S/o vishal mohan)	श्री गुलबीर सेन मेहता पुत्र श्री मंगत राम	376	358.88 SQ. YARD	Cooperative	MAHESH NAGAR Sector/Block-C	Name Transfer	श्री गुलबीर सेन मेहता एवं श्रीमती सविता मेहता का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा वंशावली।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Rakesh Kumar Mehta S/o Gulbir Sen एवं Rajesh Kumar Mehta एवं BRIJESH KUMAR MEHTA S/o Gulbir Sen Mehta एवं Dinesh Mehta S/o Gulbir Sen Mehta एवं Simmi Mehta W/o Vishal Mohan(POA S/O SIMMI MEHTA S/o vishal mohan) को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति ऑनलाइन अपलोड करे।
कृपया उक्त विज्ञप्ति के स्वरूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।